न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना.आई.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 90–ए (9) एल.आर. एक्ट 07/2019

त्रिलोक चन्द पुत्र श्री रेवन्तराम जाति चौधरी निवासी लक्ष्मी मार्बल फैक्ट्री के पास, गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर।

अपीलान्ट्

बनाम

नगर विकास न्यास,बीकानेर जरिये सचिव बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–

श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलांट्
श्री अरविन्द सिह सैगर – रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 15–11–2019

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 90 ए भू–राजस्व संशोधन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सचिव नगर विकास न्यास, बीकानेर के आदेश दिनांक 01–05–2014 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नगर विकास न्यास बीकानेर के समक्ष साबिका खसरा नम्बर 36 मिन हाल खसरा नम्बर 41,51 ग्राम गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर को भूखण्ड के नियमन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुंत किया। अपीलान्ट के आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अपीलान्ट के कब्जा शुदा भूखण्ड जो कि खसरा नम्बर 51 मे था व है उसकी जांच की गई तथा नियमन योग्य पाये जाने पर नियमन राशी जमा करवाकर पट्टा विलेख अपीलान्ट के नाम जारी कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट नगर विकास न्यास बीकानेर को किसी व्यक्ति ने अपीलान्ट के विरूद्व फर्जी तरीके से पट्टा बनाने के संबध में शिकायत कर दी। नगर विकास न्यास बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 01.05.2014 द्वारा उस शिकायत के आधार पर अपीलान्ट के नाम जारी पट्टा विलेख क्रमांक 48 दिनांक 31.12.2013 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्व यह अपील अपीलांट द्वारा पेश की गई है।
3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बार–बार तलब करने पर भी प्राप्त नही होने पर पत्रावली में बहस सुनी गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा अपीलान्ट ने नगर विकास न्यास बीकानेर के समक्ष साबिका खसरा नम्बर 36 मिन हाल खसरा नम्बर 41,51 ग्राम गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर को भूखण्ड के नियमन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुंत किया। अपीलान्ट के आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अपीलान्ट के कब्जा शुदा भूखण्ड जो कि खसरा नम्बर 51 मे था व है उसकी जांच की गई, जांच में तहसीलदार की रिर्पोट अनुसार उक्त भूखण्ड पर कब्जा अपीलान्ट का माना है तथा नियमन योग्य पाये जाने पर नियमन राशी जमा करवाकर पट्टा विलेख अपीलान्ट के नाम जारी कर दिया गया था। रेस्पोडेन्ट नगर विकास न्यास बीकानेर को किसी व्यक्ति ने अपीलान्ट के विरूद्व फर्जी तरीके से पट्टा बनाने के संबध में शिकायत की, जो बिल्कुल निराधर एवं तंग व परेशान कराने वाली थी। अपीलान्ट का खसरा नम्बर 51 पर ही कब्जा है व था लेकिन साबिका खसरा नम्बर 36 मीन से हाल खं. नं. 44 व 51 बने है अपीलान्ट का कभी भी खं. नं. 55, 57, 58 पर कब्जा नही रहा और न ही इसका भाग है। उस संबध मे हल्का पटवारी ने रिर्पोट की है उसमे कोई गलती नही है। अपीलान्ट ने नगर विकास न्यास बीकानेर के समक्ष अपना वास्तविक कब्जा है उसका ही कथन किया है और उस संबन्ध मे साक्ष्य भी पेश किया है। अपीलान्ट का मौके पर कमरा व चार दिवारी बनी हुई है जो व्यवसायिक नही है । अपीलान्ट ने नियमानुसार भूखण्ड का नियमन करवाया है तमाम जांच के पश्चात पट्टा विलेख जारी किया गया। शिकायत कर्ता ने दिवानी न्यायालय मे दावा पेश किया उसमे सफलता नही मिलने पर रेस्पोडेन्ट के समक्ष शिकायत कर दी । इस तथ्य को नगर विकास न्यास ने नजरअन्दाज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा विलेख जारी किये जाने एवं उप पंजियक द्वारा पट्टा पंजीबद्व हो जाने के पश्चात उसको निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास बीकानेर को नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2014 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट को जारी किया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आवासीय पट्टा विलेख क्रमांक 48 दिनांक 31.12.2013 यथावत कायम रखा जावे।

5. रेस्पोडेन्ट कें विद्वान अभिभाषक श्री अरविन्द सिह सैगर बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

6. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं उपलब्ध दस्तावेजात, का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

अपीलान्ट ने नगर विकास न्यास बीकानेर के समक्ष गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर पर भूखण्ड के नियमन के लिए आवेदन पत्र पेश किया। अपीलान्ट के आवेदन पेश किये जाने के बाद अपीलान्ट के कब्जा शुदा भूखण्ड पर जांच की गई, जांच में अपीलान्ट का कब्जा माना है तथा नियमन योग्य पाये जाने पर नियमन राशी जमा करवाकर पट्टा विलेख अपीलान्ट के नाम जारी कर दिया गया था परन्तु केवल शिकायत कर्ता की शिकायत को आधार मानकर पट्टा विलेख को निरस्त कर दिया। इस संबध में शिकायत कर्ता उक्त भू–खण्ड बाबत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में निगरानी जैरकार होना तथा सिविल न्यायाधीश बीकानेर मे भी मुकदमा उक्त पक्षकारो के मध्य जैरकार होना बतला रहा है। जब मामला विभिन्न न्यायालयो में जैरकार है तो अधीनस्थ न्यायालय को केवल शिकायत के आधार पर अपीलान्ट के नाम जारी पट्टा को निरस्त नही करना चाहिए था।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2014 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्ट को जारी आवासीय पट्टा विलेख क्रमांक 48 दिनांक 31.12.2013 को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–11–2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर